



अपार शक्ते: स्त्रोतः गंगेयम्

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,

उत्तराखण्ड

माधो सिंह भण्डारी भवन, यमुना कालोनी, देहरादून

ई-मेल : hodcamp.id@gmail.com/hod.plan@gmail.com

वेबसाइट: www.uttarakhandirrigation.com Ph.No : 01352530170



Water sufficient Village

पत्रांक :- 6361 / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 /

दिनांक: 08, अक्टूबर 2025

विषय:- उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 15 की उपधारा (1) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- शासन की ई-पत्रावली सं0- 86739 / दिनांक 23.09.2025।

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/II) सिंचाई विभाग, श्रीनगर/देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/यांत्रिक/रूड़की।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रावली जो अन्यो के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्तियों की अपीलों पर सुनवाई हेतु गढ़वाल मण्डलान्तर्गत, आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डलान्तर्गत, आयुक्त कुमाऊं मण्डल को विहित प्राधिकारी नामित करते हुए अधिसूचना को समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

अतः उक्तानुसार अधिसूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(सुभाष चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक :- / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 / तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(नवीन सिंघल)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(नियोजन)

कृते प्रमुख अभियन्ता

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
ई0 पत्रावली संख्या: 86739
देहरादून, दिनांक: 23 सितम्बर, 2025
संख्या: 859/II(2)/2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्तियों की अपीलों पर सुनवाई हेतु गढ़वाल मण्डलान्तर्गत, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल को विहित प्राधिकारी नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


(युगल किशोर पन्त),
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या: 86739 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, (अवस्थापना/एफ.आर.डी.सी.) उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त विभागीय वनाधिकारियों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
10. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक शहरी एवं नगरी विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को, समस्त नगर निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, आई.आई.टी. रुड़की।
13. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून।
14. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की।

16. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक, रिंछाई अनुसंधान संस्थान रुड़की।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
18. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग-4 में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(गरिमा रौत)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no... 859.....dated 23-09-25 for general information:

Government of Uttarakhand
Irrigation Section - 2
859/II(2)/2025 E-File No.: 86739
Dehradun, Dated: 23 September, 2025

Notification

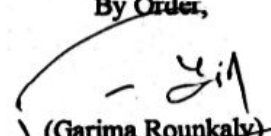
The Governor is pleased to give his assent to nominate the Commissioner, Garhwal Division in Garhwal Division and Commissioner Kumaun Division in Kumaun Division as the prescribed authority to hear appeals of persons aggrieved by the decision of the Flood Zoning Authority under sub-section (1) of section 15 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013).


(Yugal Kishore Pant)
Secretary

E-File No.: 86739/Same Date

Copy forwarded for information and necessary action to the following:

1. Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
2. Additional Chief Secretary (Infrastructure/FRDC), Government of Uttarakhand.
3. Principal Secretary/Secretary to Chief Minister, Government of Uttarakhand.
4. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries, Government of Uttarakhand.
5. Secretary to Hon'ble Governor, Uttarakhand.
6. Commissioner, Garhwal Division, Pauri/Kumaun Division, Nainital.
7. All District Magistrates, Uttarakhand.
8. Accountant General, Uttarakhand.
9. Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, with the intention to circulate this notification to all departmental forest officers.
10. Engineer in Chief/Head of Department, Irrigation Department, Uttarakhand, Dehradun, with the intention to circulate this notification to all Chief Engineers/Superintending Engineers.
11. Director, Town and Country Planning, with the intention to circulate this notification to all Urban Local Bodies.
12. Director, IIT Roorkee.
13. Director, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.
14. Director, Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.
15. Director, National Institute of Hydrology, Roorkee.
16. Chief Engineer (Projects) and Director, Irrigation Research Institute, Roorkee.
17. Chief Development Officer, Bhagirathi River Valley Development Authority, Dehradun
18. Director, NIC Secretariat, Dehradun.
19. Joint Director, Government Press, Roorkee, with the intention to publish this notification in Section 4 of the Extraordinary Gazette and make 50 copies available to the Government.
20. Guard File.

By Order,

(Garima Rounkaly)
Additional Secretary